

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।

E-mail:dfonainital_uta@yahoo.com

Telefax.05942-236790

पत्रांक:- 2309/13-कालापातल
सेवा में,

दिनांक 6 / / /2021

अधिशाली अभियंता,
निर्माण, खण्ड लो०नि०वि०
नैनीताल नैनीताल।

विषय :- जनपद-नैनीताल के अर्न्तगत विकास, खण्ड रामगढ में मौना-ल्वेशाल कालापातल मोटर मार्ग के किमी० 10 से इन्टर कॉलेज व प्रा०पप० होते हुये मटियाली से प्राचीन मन्दिर कालीरौ तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.9 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। प्रस्ताव संख्या (FP/UK/ROAD/42523/2019)

संदर्भ :- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून की पत्र सं० 8वी०/यू०पी०सी०/06/132/2020/एफ०सी०/1585 दिनांक 20.10.2020. एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक/गोडल अधिकारी, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून की पत्र सं० 1365 /FP/UK/ROAD/42523/2019 देहरादून, दिनांक 6.11.2020

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें। विषयगत प्रकरण में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून के सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित निम्न लिखित शर्तों का अनुपालन किया जाना है।

1- शर्त न० 3(क) के अनुपालन में क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव की धनराशि रू० 1.8 है० $\times 3,37,184.00 = 6,06,931.00$ (रू० छः लाख छः हजारः नौ सौ इक्कीस) मात्र की धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा की जानी है। जो प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखण्ड देहरादून की पत्र संख्या 972/3-5-2 दिनांक 21-11-2017 द्वारा निर्धारित दर पर आगणन किया गया है।

2- शर्त न० 5(क) के अनुपालन में एन०पी०वी० की धनराशि रूपया 0.9 है० $\times 8,45,000 = 7,60,500.00$ (रू० सात लाख साटी हजार पाँच सौ) मात्र वन विभाग के पक्ष में जमा की जानी है।

शर्त न० 5(ख) के अनुपालन में विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि यदि कोई हो जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इसका एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।

3- शर्त न० 7 के अनुपालन में State govt. will inform to this office if they pass any order for tree cutting and commencement of work before stage II approval as per guidelines para 11.2 The State Govt. will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission.

4- शर्त न० 9 के अनुपालन में एफ.आर.ए. 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।

5- शर्त न० 10 के अनुपालन में संरक्षित क्षेत्रों/ वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियम साइनेज लगाए जाएंगे।

6- शर्त न० 11 के अनुपालन में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्राविधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।

7- शर्त न० 16 के अनुपालन में संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।

8- शर्त न० 20 के अनुपालन में इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।

9- शर्त न० 21 के अनुपालन में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।

10- शर्त न० 22 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलबे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षक में तथा

परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलुवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जायेगा। मलेवे को यथा स्थान रचाने हेतु दीवों बनाई जाएगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इसका स्थितीकरण एवं सुधार कार्य योजना अनुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा। मलुवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी। उपरोक्त के अतिरिक्त भारत सरकार की सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित अन्य शर्तों का अनुपालन आख्यो उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

अतः भारत सरकार द्वारा प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित उक्त शर्तों की बिन्दु वार अनुपालन प्रेषित करने का कष्ट करें ताकि प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही सम्भव हो सके।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।

पत्रांक / उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि :- अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को उनके उपरोक्त पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि - वन संरक्षक दक्षिणी कुमाऊ वृत्त नैनीताल को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिलाधिकारी नैनीताल को उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।